ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.
PRIA

occasional paper

2020

अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल कार्यक्रम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बाद राज्य है, किन्तु नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के मामलों में देश में नीचे से क्रमशः तीसरे और पाँचवें पायदान पर आता है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ पंचायतों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । इसलिए प्रिया राजस्थान के दो जिलों जयपुर (गोविंदगढ़ ब्लॉक) और बाँसवाड़ा (बाँसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लॉक) में समुदाय, पंचायतों एवं प्रशासन के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिये अज़ीम प्रेमजी फिलॉन्थ्रोपिक इनीशिएटिव्स (APPI) एवं दसरा (Dasra) के सहयोग से "अपना स्वास्थ्य - अपनी पहल" परियोजना का संचालन कर रही है। यह परियोजना अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक उपरोक्त तीन ब्लॉकों के 104 ग्राम पंचायतो में चलायी गई है । इसके तहत पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्थानीय स्वयंसेवको के माध्यम से समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण पर कार्य किया गया । इस परियोजना का एक और मुख्य उद्देश्य समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों एवं जमीनी शासकीय कर्मचारियों की सोच को महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना था। इसके लिए विभिन्न क्षमतावृद्धि कार्यक्रमों एवं जागरूकता वृद्धि गतिविधियों का संचालन किया गया जिससे की स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को पहचान सकें और उन्हें स्थानीय सरकार के सामने रख सके व उनका समाधान करवा सके ।

अपना स्वास्थ्य अपनी पहल (ASAP) परियोजना के तहत जब एनिमेटर साथियों ने अपने आवंटित पंचायतों में कार्य करना आरंभ किया तो यह पाया कि गांव में आशा, आगंनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, एएनएम सभी है लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाएं न तो समय पर जांच करवाती है और न ही AAA (आशा, एएनएम, आगंनवाड़ी कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं के परामर्श को मानती है। यहां तक कि वे आयरन की गोलियां भी नियमित रूप से और समय पर नहीं लेती है। आशा के घर-घर जाकर समझाने के बाबजूद भी गर्भवती महिलाओं के परिवार के सदस्य उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते । कुछ स्थानों पर यदि आगंनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जबरदस्ती पोषाहार दे दिया जाए तो गर्भवती महिला उसे अपने घर ले जाकर जानवर को खिला देती है। ऐसे में आशा, आगंनवाड़ी कार्यकर्ता व एएनएम को जो उचित लगाता है वो वह करती है और ज्यादातर मामलों में ऐसी गर्भवती या धात्री महिलाओं पर ध्यान नहीं देती । जब हमने उनसे इन मुद्दों/चुनौतियों को पंचायत प्रतिनिधियों व ग्राम सभा के सम्मुख उठाने को कहा तो उनका कहना था कि ग्राम सभा या पंचायत प्रतिनिधि क्या करेगें, वह तो ये कहते है कि ये आपका काम है पंचायत का नहीं । और वैसे भी ग्राम सभा में हमारा क्या काम, इसलिए तो हमें ग्राम सभा में नहीं बुलाया जाता है और ग्राम सभा कब होता है यह भी हमें मालूम नहीं ।

ऐसी परिस्थितियों के बावजूद इस परियोजना के अन्तर्गत व्यवहार परिवर्तन की दिशा में प्रिया को मिली सफलता को समझने के लिए हमें इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों को समझना होगा, जो की निम्नानुसार है :

SJC एवं VHSWNC की स्थिति :

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा - 55ए के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच स्थायी समितियों का गठन किया जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हीं पांच स्थायी समितियों में से एक है ''सामाजिक न्याय समिति'' (SJC) । इसी प्रकार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक 3500 से अधिक की जनसंख्या पर एक ''ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति'' (VHSWNC) के गठन का प्रावधान है।

पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के सभी 9888 (2020 से पूर्व की) ग्राम पंचायतों में सामाजिक न्याय समितियों का गठन किया जा चुका है, पर उनके पास इनकी बैठकों का कोई ब्यौरा नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान में अब तक 43440 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समितियों का गठन हो चुका है, जिनमें से 40698 कार्यशील अवस्था में है। अपने कार्य के दौरान हमने पाया कि कई ग्राम पंचायतों में ''सामाजिक न्याय समिति'' (SJC) का गठन नहीं किया गया है और जहां है वहां भी समिति की नियमित बैठकों का आयोजन नहीं होता । इसी प्रकार ''ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति'' (VHSWNC) का गठन तो सभी जगहों पर किया गया है, परन्तु ज्यादातर स्थानों पर वे सक्रिय नहीं है।

अपनाई गई प्रक्रिया

हमने यह अनुभव किया कि उपरोक्त दोनों समितियों के कार्य एवं जिम्मेदारियों में कई समानतायें है । पंचायत की स्थाई समिति होने के नाते सामाजिक न्याय समिति मानव विकास के किसी भी गतिविधि को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में जुड़वा सकती है, इसी प्रकार ग्राम के स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुये वार्षिक ग्राम स्वास्थ्य योजना (VHP) का निर्माण कर उसे सामाजिक न्याय समिति एवं ग्राम सभा में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति की होती है । लेकिन इसके बावजूद पंचायत स्तर पर इन दो समितियों में आपस में काई तालमेल नहीं है । इसलिए संस्था ने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (VHSWNC) तथा सामाजिक न्याय समितियों (SJC) की संयुक्त बैठकों के आयोजन का फैसला किया । इन बैठकों में ग्राम पंचायत स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता से संबंधित प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई ताकि उन पर ग्राम सभा में चर्चा करते हुये उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जा सके ।

सबसे पहले कार्यक्षेत्र की सभी SJC एवं VHSWNC की स्थिति का पता लगाया गया । जैसे इनकी बैठकें कब आयोजित की जाती है, इन समितियों में गांव के कौन–कौन से लोग सदस्य है, आदि । फिर इन सदस्यों से मुलाकात कर या फोन के माध्यम से इनको समिति की बैठक के आयोजन की सूचना दी गयी । इन समितियों में शामिल ज्यादातर लोगों ने बताया कि उन्हें उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों की जानकारी नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम हमने इन समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया। उन्हें उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों के साथ-साथ ग्राम विकास में उनकी भूमिका के विषय में बतलाया गया । पहले हमने इन समितियों की पृथक-पृथक बैठकों का आयोजन कर उन्हें सक्रिय बनाया और उसके बाद इनकी संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें इन समितियों द्वारा ग्राम विकास के निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- ग्राम के स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण से जुड़ी आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान ।
- चिन्हित आवश्यकताओं/समस्याओं का प्राथमिकीकरण ।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण से जुड़ी सेवाओं को नियमित और गुणवत्तापूर्ण बनाना।
- वार्षिक ग्राम स्वास्थ्य योजना (VHP) का निर्माण ।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना ।
- ग्राम पंचायत की विकास योजना के लिये उचित व सकारात्मक माहौल तैयार करना ।
- ग्राम सभा एवं महिला सभा में लोगों की भागीदारी एवं सहभागिता को बढ़ाना ।
- ग्राम सभा में समुदाय के द्वारा पहचान की गई स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण से जुड़ी समस्याओं को रखना एवं उन पर चर्चा करवाना ।
- दोनों समितियों को सक्रिय कर इनकी भूमिका को प्रभावी बनाना ।
- वंचित और जरूरतमंद समुदाय के लाभ को सुनिश्चित करना ।
- मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने में पंचायत की भूमिका को बढ़ाना ।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति को मिलने वाले बजट और उसके उपयोग के बारे में ।

शुरूआती दौर में समिति की इन बैठकों में प्रिया के कार्यकर्ताओं द्वारा सहजकर्त्ता की भूमिका निभाई गयी । सर्वप्रथम इन बैठकों में समिति के उद्देश्य, कार्य, कार्यप्रणाली एवं सदस्यों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती थी । फिर संस्था के सदस्य गांव के स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, टीकाकरण आदि मुद्दों एवं इनसे जुड़ी समस्याओं को इन बैठकों में रखते थे और गांव के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं एवं उनकी गुणवत्ता के बारे में चर्चा की जाती थी, ताकि सदस्यों को इन केन्द्रों की स्थिति और इनसे जुड़ी समस्याओं का भी पता चल सके । इसके बाद समिति के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश की जाती और जिन समस्याओं का समाधान समिति द्वारा नहीं हो पता उन्हें ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाता था । इसी तरह लगभग 3 से 4 बार इन समितियों की बैठक का आयोजन संस्था के द्वारा किया गया । इसके बाद कुछ समितियां स्वतः ही बैठकों का आयोजन करने लगी और जो समितियां इन बैठकों का आयोजन नहीं कर पाती थी उनकी मदद प्रिया संस्था के कर्मचारी करते थे ।

लगभग 5-6 महीनों के बाद ज्यादातर समितियां सक्रिय रूप से कार्य करने लगी और उनकी नियमित बैठकों का भी आयोजन होने लगा । धीरे-धीरे इन बैठकों के मुद्दों को ग्राम सभा के सामने रखना शुरू किया गया जिससे कि गांव के अन्य लोगों को भी गांव की समस्याओं का पता चल सके और गांव की स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता जैसी जरूरतों का समाधान ग्राम स्तर पर ही किया जा सके। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप अब कई पंचायतों ने समिति द्वारा उठाये गये मुद्दों को ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल करते हुये उनका क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है । जैसा कि विदित है, VHSWNC के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 हजार रुपये सालाना बजट निर्धारित है लेकिन कम बजट होने की वजह से कई बार इससे समिति की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है । इस वजह से कई पंचायतों ने ग्राम पंचायत के बजट से इस समिति को अतिरिक्त धनराशि देने की योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया है । आंगनबाड़ी केन्द्रों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने जैसी कई समस्याओं का समाधान भी ग्राम पंचायत के

माध्यम से किया जा रहा है । इन समितियों की सक्रियता बनाये रखने के लिए प्रिया के स्थानीय कार्यकर्ता समय-समय पर इनकी बैठकों में भाग लेते रहते है । साथ ही संबन्धित विभाग के अधिकारियों से बात करके इन समितियों में गाँव के ही स्वयंसेवकों जिनकी क्षमतावृद्धि संस्था के माध्यम से की गई है उनको इन समितियों में सदस्य के रूप में जोड़ा गया है, ताकि इन समितियों को और सक्रिय व सशक्त बनाया जा सके ।

PRIs एवं जमीनी स्तर से जुड़े कार्मिको के व्यवहार में परिवर्तन :

फ्रंटलाइन वर्कर्स वे मैदानी शासकीय कर्मचारी है जो शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर करते है । अपने हस्तक्षेप के दौरान हमने पाया कि इनमें से अधिकांश कर्मचारियों को केवल अपने ही विभाग के योजनाओं की जानकारी है और वे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) से परिचित नहीं हैं । कई जनप्रतिनिधि एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स तो ऐसे थे जिन्होने GPDP का नाम ही प्रिया के साथियों से सूना था । इस वजह से आज भी ज्यादातर ग्राम पंचायतों की GPDP में निर्माण कार्यों से जुड़े प्रस्ताव ही लिये जाते है और मानव विकास के कार्यों की अनदेखी होती है। जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार अपने पत्र में पिछले दो वर्षों से इस बात का उल्लेख कर रहे है कि ''GPDP में निर्माण कार्यों के साथ-साथ मानव विकास के कार्य जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन, आजीविका इत्यादि भी परिलक्षित होने चाहिए।' '

अपनाई गई प्रक्रिया

इस परियोजना के तहत आशा, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक, शिक्षक आदि के साथ मिलकर समुदाय को जागरूक करने का कार्य किया गया । शुरूआती दौर में हमें कई बार बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे - विभाग की बैठकों में शामिल नहीं करना, विभाग के आंकड़ो को साझा नहीं करना, आदि । इसके लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गयी और उन्हें अपना स्वास्थ्य अपनी पहल कार्यक्रम एवं इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया । इसके बाद विभागों के कर्मचारियों का सहयोग मिला और इन कर्मचारियों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इसके फलस्वरूप अब यह कर्मचारी महिलाओं के मुद्दों को गंभीरता से लेने लगे है । जैसे यदि अब इनके कार्यक्षेत्र में कोई महिला टीकाकरण नहीं करवाती है तो वे इसे गंभीरता से लेते है और भरसक प्रयास के बावजूद भी यदि परिवार टीकाकरण के लिये नहीं मनाता है तो कर्मचारी इस मुद्दे को ग्राम पंचायत के समक्ष रखते है । पहले महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों को ICDS की योजनाओं की जानकारी तो थी लेकिन उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना और पंचायती राज विभाग के संबंधित योजनाओं की जानकारी नहीं थी । इसके चलते यह कर्मचारी ग्राम सभा के आमंत्रित सदस्य होते हुए भी ग्राम

पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे । इसके लिए प्रिया ने क्षमतावृद्धि कार्यक्रम एवं त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से उनको यह जानकारी प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप अब यह महिला कर्मचारी अपनी पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे जानती है और साथ ही इसके निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करती है ।

कर्मचारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी । जिसके कारण समुदाय को तो परेशानियों का सामना करना पड़ता ही था साथ ही ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी । कई बार तो यह स्थिति बनी कि विभाग की ओर से GPDP निर्माण के आदेश आते और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति इसकी बैठकों में भाग नहीं लेते थे । कई जनप्रतिनिधियों एवं जमीनी स्तर से जुड़े कार्मिको ने GPDP का नाम ही प्रिया के साथियों से सूना था । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रिया के साथियों ने जमीनी स्तर से जुड़े कर्मचरियों एवं जनप्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से क्षमतावृद्धि कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना, सरपंच के कार्य, टीकाकरण, MCHN day, VHSWNC तथा सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी । लेकिन यह देखा गया कि ग्राम पंचायत विकास योजना में निर्माण कार्यो जैसे सड़क, पानी की टंकी, भवन निर्माण, नाली निर्माण आदि कार्यो को ही महत्व दिया जा रहा था । इसके बाद इन अधिकारियों की नजर महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं के स्वास्थ्य, स्वास्थ्य केन्द्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की ओर लाया गया । इसके लिए इन अधिकारियों की सोच और व्यवहार को इन मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया गया । इसका परिणाम यह निकला कि अब ग्राम पंचायतों के ज्यादातर अधिकारी व जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को गंभीरता से लेते है । जिसका परिणाम हम वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना में देख सकते है, जिसमें बालिकाओं के लिए सेनेटरी पैड निपटान एवं वितरण मशीन लगाना, महिला सभाओं का आयोजन करना, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिए गाँव की महत्वपूर्ण दीवारों पर वाल पेंटिंग एवं नारा लेखन करवाना, आंगनबाड़ी केन्द्रों की विजिट करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेना, आदि कार्यक्रम शामिल है । इसी के साथ बालिकाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ग्राम पंचायतो ने गाँव में ही बालिकाओं के लिये लाईब्रेरी खोलने का निर्णय लिया तो कुछ पंचायतों ने सरकारी विद्यालयों में CCTV कैमरे लगवाए । गोविंदगढ़ ब्लॉक के चिथवाड़ी पंचायत ने सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाँव में ही CCTV कैमरे लगवाने का निर्णय लिया, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार यह कार्य ग्राम पंचायत के बजट से लगा पाना मुश्किल था, इस वजह से ग्राम पंचायत के सरपंच एवं भामाशाहों ने मिलकर यह कार्य करवाया और इसका नियन्त्रण कक्ष ग्राम पंचायत भवन में बनाया गया । अब लगभग सभी 104 ग्राम पंचायतो में जनप्रतिनिधियों की सोच एवं व्यवहार में महिलाओ एवं बच्चो के मुद्दों के प्रति गंभीरता एवं संवेदनशीलता का भाव देखा जा सकता है जो अब स्वयं ही इन मुद्दों पर बात करते नजर आते है ।

प्रिया ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इन मैदानी शासकीय कर्मचारियों (आशा, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, ग्राम विकास अधिकारी एवं शिक्षक) तथा सरपंच एवं वार्ड पंचों के लिये एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया । इस दौरान उन्हें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, माहवारी, ग्राम सभा एवं GPDP के विषय में जानकारी दी गयी । इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर पंचायतों को हस्तांतरित पाँच विभागों यथा महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ भी सरपंच एवं VDOs की कार्यशाला आयोजित की गयी, ताकि सभी

विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुये लोगों की भागीदारी से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण करें । इसी के साथ प्रिया के एनिमेटर और स्वयंसेवकों द्वारा नियमीत रुप से ग्राम पंचायतों की विजिट की गई ताकि ग्राम पंचायतो को तकीनीकी सहायता के साथ आवश्यक सहयोग किया जा सके। आज इन प्रयासों का परिणाम हमें कार्यक्षेत्र के सभी पंचायतों की GPDP में देखने को मिलता है ।

स्वयंसेवकों की भूमिका :

ASAP परियोजना के अन्तर्गत हमारे एक एनिमेटर के पास 8 पंचायतों की जिम्मेदारी थी । अथार्त माह के दौरान वे एक पंचायत में 2 या 3 बार ही विजिट कर पाते थे । एनिमेटर के कार्य को सहज बनाने, अभिशासन की प्रक्रिया में गरीब, वंचित, युवाओं तथा महिलाओं को जोड़ने और समुदाय को जागरूक करने के लिए प्रिया द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 से 5 स्वयंसेवकों का चयन किया गया। ये ऐसे वयस्क लड़कियां एवं लड़के थे जो या तो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे या वर्तमान में पढ़ाई कर रहे थे और अपने गाँव तथा समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते थे । कुछ स्थानों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं वार्ड पंचों (वर्तमान एवं पूर्व) को भी स्वयंसेवक के रूप में जोड़ा गया । इनमे से कुछ स्वयंसेवक अब किसी न किसी कारणवश अपने ग्राम पंचायतों में नहीं रहते है लेकिन अभी भी 70 से 80 प्रतिशत स्वयंसेवक प्रिया के साथ जुड़कर अपनी ग्राम पंचायत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर कार्य कर रहे है । साथ ही गाँव की अन्य समस्याओं पर भी गर्म पंचायत में अपनी बात रखते है और अपने जैसे युवाओं की टीम बनाकर गाँव की समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करते है । इसी प्रकार लगभग 45 पंचायतों में स्वयंसेवकों ने पॉवर ग्रुप के नाम से स्वयं का एक समूह बना रखा है, जो समय-समय पर आवश्कतानुसार गाँव की समस्याओं पर बात करते है और उन समस्याओं के समाधान की योजना बनाते है तथा इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत को भी शामिल करते है । उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत देवथला में अभी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) संचालित है, लेकिन उसमें सुविधाओं की कमी है, समय पर डॉक्टर नहीं मिलते है । इस समस्या को ध्यान में रखते हुए गाँव के स्वयंसेवकों ने गाँव के सरपंच को पंचायत बैठक में यह बात बताई और सरपंच ने इस बैठक के पश्चात स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा और सुविधाओं की मांग की ।

अपनाई गई प्रक्रिया

कार्यक्षेत्र के सभी 104 पंचायतों में स्वयंसेवकों का चयन परियोजना की शुरुआत से ही किया गया था । इन स्वयंसेवकों को सबसे पहले उनके गांव की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिती के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि क्षेत्र एवं जनसंख्या के अनुसार क्या-क्या सुविधाएं उनके गांव में होनी चाहिए । इससे इन स्वयंसेवकों की रुचि इस कार्यक्रम के प्रति बढ़ने लगी । प्रिया द्वारा सभी स्वयंसेवकों के लिए ब्लॉक स्तर पर त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । इन कार्यशालाओं में उनको ग्राम सभा, महिला सभा, टीकाकरण, GPDP, सरकारी योजनाओं एवं उनके पंचायत के स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थितिगत

जानकारी दी जाती थी, जिससे उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुयी । साथ ही एक स्वयंसेवक की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती है, इस विषय पर भी उनसे चर्चा की जाती थी ।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर GPDP के निर्माण के लिये दो समितियों क्रमशः ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) एवं तकनीकी सहयोग दल (TSG) का गठन किया जाना आवश्यक है । इनमें से तकनीकी सहयोग दल (TSG) में पंचायत स्तर पर कार्य कर रही किसी स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि को सदस्य बनाये जाने का प्रावधान है । इसी प्रकार ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (VHSWNC) में भी समुदाय आधारित संगठन एवं सेवा उपयोगकर्ता को सदस्य बनाये जाने का प्रावधान है । प्रिया ने रणनीति के तहत ग्राम पंचायत स्तर की इन दोनों समितियों में अपने स्वयंसेवकों को सदस्य बनवाया ताकि वे एक सदस्य एवं ग्राम सभा के सदस्य के रूप में इन समितियों में अपनी बात रख सकें और मुखर होकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा ग्राम विकास के अन्य मुद्दों को उठा सके ।

चयन के पश्चात सर्वप्रथम इन स्वयंसेवकों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण किया गया । उन्हें यह समझाया गया कि स्वयंसेवा से समाज को कैसे लाभ होता है और समुदाय के प्रति एक स्वयंसेवक की क्या जिम्मेदारियां है । अब यह स्वयंसेवक ग्राम में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता आदि विषयों से संबन्धित मुद्दों पर अपनी नजर रखते है और जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायत के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही को सुनिश्चित भी करते है । स्वयंसेवको की सहायता के लिए प्रिया के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवको की जान-पहचान स्थानीय अधिकारियों जैसे VDO, BDO, ANM आदि से कारवाई जिससे कि इनको काम करने में आसानी हो । फील्ड पर स्वयंसेवकों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के अतिरिक्त संस्था के कर्मचारी समय-समय पर ग्राम पंचायत स्तर पर भी इन स्वयंसेवको के लिए बैठकों का आयोजन कर उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग करते है।

समुदाय में व्यवहार परिवर्तन पर एक नजर :

ग्राम में लोग गंदगी, पीने के पानी, स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल, सड़क, नाली आदि की समस्याओं से परेशान हैं। लोग यह मानते हैं कि समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, जबकि 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार सम्पूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है और ये पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर रही हैं। अतः समस्याओं का निराकरण करना वहां के लोगों एवं पंचायत का काम है।

ग्राम हो या शहर, व्यवहार परिवर्तन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पर यदि नियोजन बेहतर हो तो हर चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। ग्रामीण परिवेश में महिलाएं अपनी बात खुलकर नहीं रखा पाती, साथ ही ग्राम पंचायतों तक महिलाओं की पहुँच भी बहुत कम है । कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायतों में महिलाएं बहुत जरुरी काम होने पर ही जाती थी और ग्राम सभाओं में उनकी भागीदारी बहुत ही कम थी । क्योंकि उनका मानना था कि ग्राम सभा में हम जाकर क्या करेंगे, हमारे घर के पुरुष चले जायेंगे और यदि कोई समस्या होगी तो वो हमें बता देंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हॉस्पिटल है ग्राम पंचायत इसमे क्या करेगी ! इसी सोच को बदलने के उद्देश्य से प्रिया ने 104 ग्राम पंचायतो में काम करना शुरू किया ।

अपनाई गई प्रक्रिया

सबसे पहले महिलाओं को छोटे-छोटे समूहिक बैठकों के माध्यम से गाँव/पंचायत के स्वास्थ्य की स्थिति के विषय में बतलाया गया और साथ ही गर्भावस्था व टीकाकरण में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता/सुविधाओं व स्वास्थ संबंधी अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। इसके बाद महिलाओं को लगा कि इनमें से कुछ सुविधाएं तो उनके गाँव में है ही नहीं। "अब हमें क्या करना चाहिए?", यह सवाल कई बैठकों में महिलाओं के मूह से सुनने को मिला। इसके बाद प्रिया के साथियों ने महिलाओं को ग्राम सभा, महिला सभा, पंचायत बैठकों के बारे में बताया और कहा कि आप अपने गाँव की समस्याओं को ग्राम सभा में जाकर रख सकती है। लेकिन महिलाओं का जवाब होता कि ग्राम सभा में तो गाँव के पुरुष होते है, हम उनके सामने यह सब कैसे बोलेंगे। इसके बाद प्रिया ने महिलाओं की सुविधाओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महिला सभाओं का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं की उपस्थिति शुरू में उम्मीद से कम रहती थी लेकिन 3-4 महीनों के सघन प्रयास से महिला सभा में महिलाएं आने लगी और अपनी समस्याएं खुलकर पंचायत प्रतिनिधियों के सामने रखने लगी।

आज स्थिति यह है कि महिलाएं महिला सभा के साथ-साथ ग्राम सभाओं में भी भाग लेती है और अपनी बात रखती है। अभी हाल ही में 08 मार्च 2020 को सरकार के आदेशानुसार ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और महिलाओं ने इस ग्राम सभा न केवल बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अपनी बात भी ग्राम सभा के सामने रखी। उदहारण के लिए ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ में भी 8 मार्च को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 150 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं का पहला मुद्दा था कि हमारी ग्राम पंचायत में यह बहुत अच्छी बात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) है लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, यह सुविधा भी यहां होनी चाहिए। साथ ही राजस्व गाँव कालू का बास की महिलाओं ने कहा कि हमारे गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और हमें दूसरे राजस्व गाँव में जाकर आंगनबाड़ी केन्द्र की सुविधाओं का लाभ लेना पड़ता है। कई बार दूरी ज्यादा होने की वजह से हम जाते भी नहीं है। इस कारण हमारे गाँव में भी आंगनबाड़ी केंद्र खुलना चाहिए। इस तरह अब कई ग्राम पंचायतो में महिलाएं अपनी बात ग्राम सभा के सामने रखने लगी है।

पहले पुरुष ग्राम सभा में सडक, पानी, नाली अदि के मुद्दों को ही रखते थे और महिलाओं के मुद्दों को और उनकी बात को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। लेकिन अब महिला सभा के आयोजन के बाद महिलाओं की समस्याओं को ग्राम सभा में प्रथिमकता दी जाने लगी है। लेकिन अभी भी कुछ ग्राम पंचायतों में महिला सभा की जागरूकता को लेकर थोड़ा और कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब महिलाएं घर से बहार निकलकर अपने मुद्दे तो रखने लगी है पर उनमें मुद्दों की पहचान करने की क्षमता का विकास करना बाकी है। साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करनी है, जिससे कि महिलाएं अपने गाँव में खुलकर अपनी बात को रख सके और अपने गाँव की समस्याओं की पहचान कर सके। पहले ग्राम

पंचायत विकास योजना की जानकारी सरपंच, VDO और पंचायत के कुछ एक वार्ड पंचो को ही होती थी । आज प्रिया के प्रयासों से गाँव के युवा, गरीब एवं वंचित समुदाय के लोग एवं महिलाओं को भी ग्राम पंचायत विकास योजना की जानकारी है और यह सभी ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते है । गाँव के एक अनुभवी पूर्व वार्ड पंच का कथन "पहले ग्राम पंचायत में ग्राम सभा कब हो गई पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब कई बार माईक के माध्यम से अनाउंसमेंट होता है और हमे ग्राम सभा की सुचना भी मिलती है ।"

हमारे परियोजना क्षेत्र के महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है, इसलिए व्यवहार परिवर्तन के लिये हमने सर्वप्रथम लिखित IEC सामग्रियों के स्थान पर परंपरागत विधियों पर ज्यादा फोकस किया । गावों में मुनादियाँ करवाई गयी, मंदिरों के लाउड स्पीकरों से अनाउंस किया गया, अटल सेवा केन्द्रों पर लगे LED TV पर ग्रामीणों को वीडियो फिल्म्स दिखाई गयी और घर-घर जाकर लोगों से सम्पर्क किया गया। इसके अरिरिक्त बांसवाड़ा एवं गोविंदगढ़ के पंचायतों में क्रमशः ''ताजो परिवार" एवं ''पावर ग्रुप" के नाम से महिलाओं को संगठित किया गया और उन्हें अपने परिवार तथा अन्य महिलाओं को ग्रामसभा में भाग लेने एवं GPDP निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिये प्रेरित करने को कहा गया । इन महिलाओं ने न केवल छोटी-छोटी बैठकों के माध्यम से बल्कि घर-घर जाकर भी वातावरण निर्माण का कार्य किया । उपरोक्त गतिविधियों के साथ-साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के साथ नियमित रूप से संवाद किया गया । उनसे मुख्य रूप से आदर्श ग्राम की संरचना, ग्राम के विकास में उनकी भूमिका, पंचायत के वित्तीय संसाधन, GPDP एवं ग्रामसभा के महत्व को लेकर चर्चा की गई । विद्यार्थियों के लिए यह विषय बिलकुल नया था एवं उन्होंने इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया । आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी ''मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस" (MCHN Day) के दौरान महिलाओं से चर्चा करते हुये उन मुद्दों की पहचान की गई जिन्हें उनकी दृष्टि से GPDP में शामिल किये जाने की आवश्यकता है । साथ ही उन्हें GPDP एवं ग्रामसभा के महत्व के विषय में भी बतलाया गया ।

आमतौर पर जब भी लोगों से ग्राम सभा को लेकर बात की जाती है तो उनका यही जवाब होता है कि हमें तो ग्राम सभा के आयोजन की सूचना ही नहीं मिलती या हम ग्राम सभा में जाकर क्या करेंगे ! इस स्थिति में बदलाव के लिये हमने ग्रामीणों को अनिवार्य एवं विशेष ग्राम सभाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें यह भी बतलाया कि ग्राम सभा में जाकर आप क्या प्रश्न पूछ सकते है । ग्राम सभा से पहले वार्ड पंचों के सहयोग से वार्ड सभाओं का आयोजन कर समुदाय के लोगों को सरकारी सेवाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी समस्याओं की पहचान की जाती थी और इन बैठकों में महिलाओं को बोलने का अधिकाधिक अवसर दिया जाता था । कई बार जरुरत पड़ने पर स्थानीय अधिकारियों के साथ भी समूह बैठकों का आयोजन किया जाता, जिससे कि संबंधित अधिकारी को सीधे ही समस्या से अवगत कराया जा सके ।

समस्याओं की पहचान के लिए हमने महिला सभा एवं वार्ड सभा के साथ-साथ बाल सभा और रात्रि चैपालों का भी आयोजन किया। बाल सभा के माध्यम से जहां ग्राम में बच्चों के आवश्यकताओं की पहचान की गई, वहीं महिला सभा के माध्यम से महिलाओं की स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता से संबंधित आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया। इसी प्रकार वार्ड सभा में पंचों के द्वारा अपने वार्ड की समस्याओं पर लोगों से चर्चा की गई। हमनें कुछ रात्रि चैपालों के दौरान सरपंच को भी आमंत्रित किया और उनकी उपस्थिति में लोगों ने और भी बढ़-चढ़कर अपनी समस्याओं को रखा। इन सभी गतिविधियों के दौरान प्रिया के कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुये वहां उपस्थित महिलाओं/समुदाय के सदस्यों को कई मुद्दों पर जागरूक किया जिसने उनके व्यवहार में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया।

किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में माहवारी एवं प्रजनन स्वास्थ्य की समझ :

प्रिया ने जब महिलाओं के साथ माहवारी एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर बात करना आरंभ किया तो पता चला कि गाँव में अभी भी कई महिलाएं पकड़े का इस्तेमाल करती है, साथ ही जो बालिकाएं एवं महिलाएं सैनेटरी पैड का उपयोग करती है वे इस्तेमाल किये हुए सैनेटरी पैड को इधर-उधर फेंक देती है। उनको नष्ट करने के सही तरीके के बारे में महिलाओं एवं बालिकाओं को जानकारी नहीं है। माहवारी को लेकर कई गलत धारणायें भी गाँवो में प्रचलित है, जैसे माहवारी के दौरान मंदिर व् रसोई में नहीं जाना, नवजात बच्चे को नहीं छूना, बाहर खेलने न जाना, चार रास्तो वाले मार्ग पर न जाना, माहवारी वाले कपड़े को खुले में नहीं सुखाना, आचार को छूना व् देखना नहीं, खटाई वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाना, आदि। सबसे बड़ी गलत धारणा यह थी कि माहवारी वाला खून गन्दा होता है। इसी के चलते महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद प्रिया ने महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ माहवारी स्वच्छता एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर बैठकों का आयोजन किया, जिनमें स्कूल की किशोरी बालिकाएं, गाँव की महिलाएं तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाली गर्भवती एवं धात्री महिलाएं शामिल थी।

अपनाई गई प्रक्रिया

माहवारी स्वच्छता एवं प्रजनन स्वास्थ्य की बैठकों का आयोजन गाँव की महिलाओं को इस विषय के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। इन बैठकों का आयोजन गांव के स्वयंसेवकों की मदद से किया गया। जैसे दो दिन पहले स्वयंसेवकों को इन बैठकों के आयोजन की सूचना दी जाती थी और प्रिया के स्थानीय टीम के साथी गांव में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को बैठक की जानकारी देते थे। फिर दो दिन बाद इन बैठकों का आयोजन किया जाता। स्कूलों में

भी बालिकाओं को इस विषय के प्रति जागरूक करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी एवं अध्यापकों से चर्चा करते हुये बालिकाओं से माहवारी स्वच्छता के विषय पर बात की जाती थी । प्रिया को इन कार्यक्रमों में स्कूल प्रबंधन और पंचायत का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जैसे सरपंच और अध्यापकों से जब इस विषय के बारे में बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि इस विषय के बारे में बालिकाओं और महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए ।

इन बैठकों में महिलाओं को माहवारी की प्रक्रिया एवं इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए यह सब बताया गया । साथ ही यह भी बताया गया कि माहवारी वाला खून गन्दा नहीं होता है, हर माह अण्डाशय से एक अंडाणु निकलकर अण्डवाहिनी से होते हुये गर्भाशय में पहुँचती है। इस दौरान गर्भाशय में रक्त कोशिकाओं से एक नरम परत तैयार होती है। जब महिलाओं के अंडाणु और पुरूष के शुक्राणु का आपस में सम्पर्क नहीं होता तो गर्भाशय में रक्त कोशिकाओं से निर्मित परत धीरे-धीरे टूटकर योनि से बाहर आने लगती है। जिसमें सामान्य तौर पर 3 से 7 दिन का समय लगता है और इसे ही हम माहवारी कहते है । जागरूकता बैठकों के बाद महिलाओं एवं बालिकाओं के व्यवहार में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले है । महिलाएं न केवल स्वयं जागरूक हुई है बल्कि अपने परिवार एवं आसपास के अन्य महिलाओं एवं बालिकाओं को भी माहवारी एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर जागरूक कर रही है । महिलाओं ने कई बार महिला सभा एवं ग्राम सभा में यह मुद्दा उठाया कि माहवारी के दौरान बालिकाओं को स्कूल में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे इस्तेमाल किए हुए सैनेटरी पैड को कहाँ फेंके, महिला अध्यापिका के नहीं होने पर सैनेटरी पैड किससे मांगे, आदि । कुछ स्थानों पर बालिकाओं के लिए स्वच्छ शौचालय का मुद्दा भी उठाया गया । इस पर ग्राम पंचायतों ने अहम कदम उठाया और गाँव के सरकारी स्कूलों में सैनेटरी पैड निपटान एवं वितरण मशीनें लगाई गयी । गाँव की महिलाएं अब इन मुद्दों को गंभीरता से लेने लगी है और किशोरी बालिकाओं के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य के मुद्दों को भी ग्राम पंचायत के सामने रखने लगी है ।

IEC सामग्रियों का विकास :

सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री किसी विषय को लेकर लोगों को जागरूक करने एवं व्यवहार परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इसके महत्व को देखते हुये प्रिया द्वारा छोटी-छोटी लीफलेट्स के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण IEC समग्रियों का विकास किया गया । इनमें प्रशिक्षण सामाग्री एवं मार्गदर्शिका के अलावा कॉमिक्स भी शामिल है । इन समग्रियों को आप प्रिया की वेबसाइट https://pria.org/resources-apna-swasthya-apni-pehel-reforming-local-health-governance-in-rajasthan-30-572 पर जाकर देख सकते है । प्रिया द्वारा विकसित इन IEC समग्रियों का विवरण निम्नानुसार है:

- स्वयंसेवकों की मार्गदर्शिका
- पंचायतों की पुस्तिका (मानव विकास : चुनौतियां, योजनाएं एवं पंचायतों की भूमिका)
- सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)
- महिला सभाओं का संचालन कैसे करें ? (स्थानीय सरकार में महिलाओं की आवाज बुलंद करने संबंधी मार्गदर्शिका)

- सामूहिक प्रयास, सतत अभ्यास : मातृत्व स्वास्थ्य को पंचायत के एजेंडे में लाना
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की पहरेदार बनी रेखा दीदी (कॉमिक्स)

इस परियोजना के अन्तर्गत प्रिया ने तो अपनी भूमिका का निर्वाहन किया ही, साथ ही कुछ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कार्यक्रम से प्रभावित होकर इसे और प्रभावी बनाने में हमारा सहयोग किया । उदाहरण के लिए कई संस्थाओ ने अपने पोस्टर पर महिला स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नारा लेखन करवाया तो कई संस्थाओं ने अपने कार्यकर्ताओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षित करने के लिए प्रिया के साथियों को आमंत्रित किया ।

यह दस्तावेज 'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' परियोजना के तहत प्रकाशित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रिया (2017–2020) द्वारा किया जा रहा है। जिसमें दसरा तथा अज़ीम प्रेमजी फिलेन्थ्रोपिक इनिषिएटिव्ज़ (एपीपीआई) से सहयोग प्राप्त होता है।

© 2019 प्रिया। इस मसौदे का गैर–व्यापारिक उद्देष्य से उपयोग किया जा सकता है, बषर्ते प्रिया को इसका श्रेय दिया जाए। उपरोक्त उद्देष्य के लिए कृपया प्रिया से संपर्क करें library@pria.org. कृपया निम्नलिखित उद्धरण का उपयोग करें :

प्रिया (2020)। अपना स्वास्थ्य अपनी पहल कार्यक्रम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन, प्रिया, नई दिल्ली ।

पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एषिया
42, तुग़लकाबाद इंस्टीट्यूषनल एरिया, नई दिल्ली - 110062
फोन: 91-011-29960931/32/33
वेब: www.pria.org